परिशिष्ट–एक

शासकीय सेवको के विरूद्ध आपराधिक शिकायतों पर कार्यवाही
तारांकित प्रश्न क्रमांक 1852

संशोधित परिशिष्ट–एक

वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक की अवधि में नीमच जिले में पदस्थ शासकीय सेवकों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता की कितनी–कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।	किन–किन शिकायतों में आपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता होने की पुष्टि पाई गई है	आपराधिक प्रकरणों की जानकारी
2	2	2019 में प्रश्न दिनांक तक की अवधि में नीमच जिले में श्री सुनील पिता जगदीश ने जिला नीमच में जनसुनवाई में शिकायत की थी उक्त शिकायत में दो आपराधिक प्राप्त हुए । (1) श्री जितेश सागर, उ. मा. शि., रेवलीदेवली, नीमच एव (2) श्री नितेश सागर, सहा ग्रेड–2, उ. मा. वि. चीताखेडा, नीमच के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 2703/2016 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीमच के निर्णय दिनांक 11.02.2020 से धारा 323/149 में 06–06 माह के सश्रम कारावास तथा 100–100 रूपये के अर्थदण्ड से एव धारा 294 में एक–एक माह के सश्रम कारावास तथा 100–100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था, जिसके विरूद्ध सबंधितो के द्वारा सक्षम न्यायालय में क्रिमिनल अपील क्रमांक 39/2020 दायर की गई थी, जिसमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीमच के न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीमच द्वारा 06–06 माह के सश्रम कारावास तथा 100–100 रूपये के अर्थदण्ड संबंधी पूर्व आदेश को निरस्त/समाप्त नहीं करते हुवे फरियादी एवं आरोपियों के मध्य समझौता प्रस्तुत किये जाने पर भी (निशकलंक/संदेह आधारित/मेरिट के आधार पर नहीं) 100–100 रूपये के अर्थदण्ड की सजा को यथावत रखा गया है ।

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग उज्जैन